UPLK010164752022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

सत्र वाद संख्या 2513/2022

सरकार बनाम सुनील कुमार यादव उर्फ बउवा

मु0अ0सं0 144/2022
अंतर्गत धारा–354क भा0दं0सं0
एवं धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना निगोंहा, जिला– लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त सुनील कुमार यादव उर्फ बउवा को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि दिनांक 17.062022, समय सुबह करीब 10.00 बजे थाना निगोंहा जिला लखनऊ लखनाखेड़ा में आपने वादिनी मुकदमा साक्षी की इच्छा के विरूद्ध उसका पीछा किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354क के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने अनुसूचित जाति की वादिनी मुकदमा साक्षी के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 16–04–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 16–04–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127